अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र हरजीरामजी जाति पुरोहित निवासी मनादर तह0 शिवगंज		1.खंगाराराम पुत्र नेमाजी 2.झालाराम पुत्र नेमाजी 3.सतीदेवी पुत्री नेमाजी 4.देसाराम पुत्र वागाराम 5.जोशना पुत्री वागाराम 6.डिम्पल पुत्री वागाराम 7.अन्तरीदेवी पत्नी वागाराम 8.प्रतापराम पुत्र हरजीराम के मृतक कायम मुकाम 8/1–नरपतकुमार पुत्र प्रतापराम 8/2–पार्वतीदेवी पत्नी प्रतापराम सर्वजातियान–पुरोहित निवासीगण– मनादर तह0 शिवगंज 9.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वाद संख्या 74/2019

निर्णयः– दिनाक 16.06.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 91 दिनांक 01.12.2021 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/राजस्व/पीडी/2021/3842 दिनाक 17.12.2021 से वादग्रस्त भूमि मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 के खसरा नम्बर 2334 रकबा 3–17 बीघा, खसरा नं. 2529 रकबा 09–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13–00 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया एवं वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पूर्व में प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है एवं प्रतिवादी सं0 01, 8/1 व 8/2 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाड में सहमति दी गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव में वादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मर्तिब हो।

आज दिनाक 16.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath
Date: 2022.06.20 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

571
16/6/22

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र हरजीरामजी जाति पुरोहित निवासी मनादर तह0 शिवगंज		1.खंगाराराम पुत्र नेमाजी 2.झालाराम पुत्र नेमाजी 3.सतीदेवी पुत्री नेमाजी 4.देसाराम पुत्र वागाराम 5.जोशना पुत्री वागाराम 6.डिम्पल पुत्री वागाराम 7.अन्तरीदेवी पत्नी वागाराम 8.प्रतापराम पुत्र हरजीराम के मृतक कायम मुकाम 8/1–नरपतकुमार पुत्र प्रतापराम 8/2–पार्वतीदेवी पत्नी प्रतापराम सर्वजातियान–पुरोहित निवासीगण– मनादर तह0 शिवगंज 9.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल गेहलोत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वाद संख्या 74/2019
दिनाक 16.06.2022

वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पंत्राक/राजस्व/पीडी/2021/3842 दिनाक 17.12.2021 से वादग्रस्त भूमि मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 के खसरा नम्बर 2334 रकबा 03–17 बीघा, खसरा नं. 2529 रकबा 09–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13–00 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाने पर सहमत होने से वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 तहसील शिवगंज के उक्त खसरा नम्बरान का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनाक 16.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान [illegible] [illegible] हुक्मनामा [illegible]रीक मीजान	–:शून्य:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.20 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

छोड़
5/2
16/6/22

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)